



(रिट अपील सं.56/2023)

2025: सीजीएचसी:14415-डीबी

1

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट अपील सं.56/2023

{डब्ल्यू. पी. (टी)सं.252/2022 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 28-11-2022 के आदेश से उत्पन्न}

आदेश सुरक्षित किया गया: 24-3-2025

आदेश पारित किया गया: 26-3-2025

1. भारत संघ सचिव के द्वारा, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, कमरा सं.46, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।

2. जी. एस. टी., सचिव के द्वारा, परिषद, जी. एस. टी. सचिवालय, वी-फ्लोर, टावर एल. आई., जीवन भारती भवन, जनपथ रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।

3. प्रधान आयुक्त केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क भवन, टिकरापारा, धमतरी रोड, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

4. माल तथा सेवा कर नेटवर्क अपने सीईओ के द्वारा, वर्ल्डमार्क 1, एयरोसिटी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110037, भारत

(उत्तरवादी संख्या 1,2,3 और 5)

.....अपीलकर्ता

बनाम

1. मैसर्स जगदलपुर मोटर्स निदेशक के द्वारा, श्री नीरज शर्मा, पता-एन. एच.-16, गीदम रोड, पंडरीपानी, जगदलपुर, जिला बस्तर (छत्तीसगढ़)(याचिकाकर्ता)

2.राज्य वस्तु एवं तथावा कर आयुक्त, जी. एस. टी. भवन, अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।

(प्रत्यर्थी संख्या 4)



(रिट अपील सं.56/2023)

2025: सीजीएचसी:14415-डीबी

2

..... उत्तरवादीगण

अपीलार्थियों हेतु: श्री रमाकांत मिश्रा, भारत के उप सॉलिसिटर जनरल।

उत्तरवादी संख्या 1 हेतु :श्री हरि अग्रवाल, अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 2/राज्य हेतु : श्री अरविंद दुबे, शासकिय अधिवक्ता।

युगल पीठ :-

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री संजय कुमार जयसवाल, न्यायाधीश

सी ए वी आदेश

संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश के अनुसार

"12. ... इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम के तहत काम करने वाले अधिकारियों को, अपने कर्तव्य के अनुसार, कानून के अनुसार शुल्क लगाकर और एकत्र करके राजस्व के हितों की रक्षा करनी चाहिए – न कम और न ही अधिक। राजस्व के लाभ के लिए शुल्क की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से किसी करदाता को कानून में उपलब्ध लाभ से वंचित करना उनके कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। उन्हें उचित और निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए।"

1. यूनिकेम लैबोरेटरीज लिमिटेड बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, बॉम्बे के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा दिया गया उपरोक्त विधि का कथन वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह लागू होता है, क्योंकि इस मामले में भी रिट याचिकाकर्ता को संशोधित फॉर्म जीएसटी ट्रान-1 दाखिल करने के लाभ से अनुचित तरीके से वंचित किया गया था।

2. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (युगल पीठ को अपील) अधिनियम, 2006 की धारा 2(1) के तहत इस न्यायालय के रिट अपीलीय क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए, भारत संघ/यहां के अपीलकर्ता/रिट याचिका के प्रतिवादी क्रमांक 1, 2, 3 और 5 ने यह रिट अपील दायर की है जिसमें रिट कोर्ट द्वारा डब्ल्यू.पी.(टी) क्रमांक 252/2022 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 28-11-2022 की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाया गया है, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी क्रमांक 1, 2 और 5 को निर्देश दिया है कि जहां तक



(रिट अपील सं.56/2023)

2025: सीजीएचसी:14415-डीबी

3

रिट याचिकाकर्ता का संबंध है, वे एक बार पोर्टल खोलें और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि संशोधित फॉर्म जीएसटी ट्रान-1 जमा करने के लिए 30-11-2022 को या उससे पहले उचित कदम उठाए जाएं। (सुविधा के लिए, पक्षों को उनकी स्थिति तथा रिट न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में दिखाई गई श्रेणी के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।)

प्रश्न शामिल किए गए:

3. इस रिट अपील में शामिल संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 5 को जीएसटी पोर्टल खोलने का निर्देश देना न्यायोचित है, जिससे रिट याचिकाकर्ता केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 (संक्षेप में, 'केंद्रीय जीएसटी नियम') के नियम 120 ए के तहत संशोधित फॉर्म जीएसटी ट्रान-1 जमा कर सके?

संक्षिप्त सुसंगत तथ्य:

4. यहां रिट याचिकाकर्ता / उत्तरवादी सं 1 मोटर वाहनों और उनके स्पेयर पार्ट्स की विक्रय के व्यवसाय में लगा हुआ है और टाटा मोटर वाहनों का अधिकृत डीलर है और डीलरशिप समझौते के तहत खरीद पूरी तरह से टाटा मोटर्स से की जाती है और पूर्ववर्ती केंद्रीय वैट (मूल्य वर्धित कर) व्यवस्था के तहत एक पंजीकृत डीलर था। 30-6-2017 तक, रिट याचिकाकर्ता फर्म के पास अपने स्टॉक में 2,85,71,513/- मूल्य का माल था, जिस पर 48,86,912/- का सेनवैट पहले ही चुकाया जा चुका था और इस प्रकार, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, उक्त राशि का सेनवैट क्रेडिट रिट याचिकाकर्ता फर्म के लिए उपलब्ध था। 1-7-2017 से, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (संक्षेप में, 'केंद्रीय जीएसटी अधिनियम') लागू हुआ और देश भर में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया और जीएसटी की योजना के अनुसार (जिसके तहत सभी अलग-अलग करों को मिला दिया गया था), सभी संस्थाएं जो सेनवैट क्रेडिट रखती थीं, वे फॉर्म जीएसटी ट्रान-1 में इस संबंध में घोषणा करने पर केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 140 के अनुसार जीएसटी व्यवस्था में संक्रमणकालीन क्रेडिट के लिए पात्र थीं। केंद्रीय जीएसटी नियमों के नियम 117 के अनुसार, इस तरह की घोषणा दाखिल करने की समय सीमा नियत दिन से 90 दिन यानी 30-9-2017 तक थी। हालांकि, जुलाई, 2017 से सितंबर, 2017 तक तकनीकी गड़बड़ियों के कारण, कई पंजीकृत करदाता फॉर्म जीएसटी ट्रान-1 दाखिल करने में असमर्थ थे और रिट याचिकाकर्ता एक ऐसा ही करदाता था जो तकनीकी गड़बड़ियों के कारण फॉर्म जीएसटी ट्रान-1 दाखिल करने में असमर्थ था। इस बीच, 15-9-2017 को केंद्रीय जीएसटी नियमों में नियम 120 ए जोड़ा गया, जिससे करदाता को एक बार ट्रान-1 फॉर्म को संशोधित करने का अवसर मिला। अंततः 22-7-2022 को भारत संघ और अन्य बनाम फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य 2 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने जीएसटी अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि वे ट्रान-1 और ट्रान-2 के माध्यम से संक्रमणकालीन क्रेडिट प्राप्त करने के लिए संबंधित फॉर्म दाखिल करने के लिए माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के सामान्य पोर्टल को दो महीने की अवधि के लिए



(रिट अपील सं.56/2023)

2025: सीजीएचसी:14415-डीबी

4

खोलें, अर्थात् 1-9-2022 से 31-10-2022 तक और पंजीकृत करदाता को इस तथ्य के बावजूद सुसंगत फॉर्म या पहले से संशोधित फॉर्म दाखिल करने में सक्षम बनाया कि करदाता ने रिट याचिका दायर की है या नहीं और आगे जीएसटी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उक्त अवधि के दौरान कोई तकनीकी गड़बड़ न हो और उस अवधि को अंततः 2-9-2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने आदेश दिनांक 2-9-2022 द्वारा रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को प्रभावी रूप से 30-11-2022 करने के लिए बढ़ा दिया गया। परिणामस्वरूप, 9-9-2022 को अनुलग्नक पी-3 के माध्यम से भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जीएसटी नीति विंग ने भी सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 22-7-2022 और 2-9-2022 के आदेशों के अनुसार TRAN-1/TRAN-2 दाखिल/संशोधित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

5. यह रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी नंबर 1 का मामला है कि उसके द्वारा नियुक्त कर सलाहकार ने रिट याचिकाकर्ता के रूप में TRAN-1 पोर्टल खोलते और उसमें प्रविष्टियां करते समय, पात्र सेनवैट क्रेडिट राशि दर्ज करने के बजाय गलती से फॉर्म TRAN-1 में NIL दर्ज कर दिया और सबमिट बटन दबा दिया, जिस पर तुरंत फॉर्म फ्रीज हो गया और अपलोड किए गए फॉर्म को संपादित करने का कोई विकल्प नहीं था, जिसके लिए रिट याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी-6 के तहत कर सलाहकार का हलफनामा भी दाखिल किया है और चूंकि अपलोड किए गए फॉर्म को सुधारने/संपादित करने का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए रिट याचिकाकर्ता ने TRAN-1 पोर्टल को रीसेट करने या खोलने के लिए अधिकारियों के समक्ष 27-10-2022 को अभ्यावेदन दायर किया, विशेष रूप से इस तथ्य के तहत कि TRAN-1 फॉर्म जमा करने/दाखिल करने की अंतिम तिथि 30-11-2022 थी, जिसे जीएसटी अधिकारियों ने संबोधित नहीं किया, राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष आवेदन किया गया और अंततः प्रधान आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रायपुर द्वारा रिट याचिका में जवाब दाखिल किया गया जिसमें भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जीएसटी नीति विंग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 9-9-2022 के पैराग्राफ 4.6 और 4.6.1 को दोहराया गया है जिसमें कहा गया है कि चूंकि रिट याचिकाकर्ता ने ट्रान-1 फॉर्म में डेटा/आंकड़े भरने के बिना "सबमिट" बटन पर क्लिक किया है, इसलिए इस मामले में जीएसटी विभाग को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में भारत सरकार द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है, इसलिए रिट याचिकाकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं है और रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

विद्वान एकल न्यायाधीश का निष्कर्ष:--

6. विद्वान एकल न्यायाधीश ने केंद्रीय जीएसटी नियमों के नियम 120 ए में निहित प्रावधान के प्रकाश में और फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रकाश में रिट याचिका को अनुमति दी, जिसके खिलाफ भारत संघ द्वारा यह रिट अपील मुख्य रूप से इस आधार पर पेश की गई है कि



9-9-2022 का परिपत्र फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार है और इस अवधि के दौरान या बाद में फॉर्म को फिर से दाखिल करने या संशोधित करने का कोई और अवसर रिट याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं होगा, ऐसे में, आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाना चाहिए।

पक्षकारों की प्रस्तुतियाँ:

7. अपीलकर्ताओं/भारत संघ की ओर से उपस्थित भारत के विद्वान उप सॉलिसिटर जनरल श्री रमाकांत मिश्रा ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 9-9-2022 के परिपत्र के मद्देनजर जिसमें स्पष्ट रूप से जोर दिया गया है कि सबमिट बटन पर क्लिक करने से पहले आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए क्योंकि सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद कोई संपादन विकल्प उपलब्ध नहीं होगा, रिट याचिकाकर्ता को उक्त परिपत्र को पढ़ना चाहिए था और TRAN-1 फॉर्म दाखिल करने/जमा करने से पहले बहुत सतर्क रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसे बहुत लापरवाही से लिया और बिना किसी आंकड़े के बहुत लापरवाही से फॉर्म जमा कर दिया, और उस स्थिति में, इस न्यायालय के समक्ष करदाता का दृष्टिकोण स्वीकार्य नहीं है और यदि पोर्टल को इस तरह से प्रत्येक के लिए खोल दिया जाता है, तो यह एक अंतहीन और कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया होगी और इस तरह, विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश रद्द करने योग्य है और रिट अपील को स्वीकृति दी जानी चाहिए।

8. श्री हरि अग्रवाल, पंजीकृत करदाता/रिट याचिकाकर्ता/उत्तरवादी सं 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, प्रस्तुत करते हैं कि पंजीकृत करदाता का संचित सेनवैट क्रेडिट का अधिकार, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए के तहत एक संवैधानिक अधिकार है, उसे केवल 9-9-2022 के एक परिपत्र के माध्यम से नहीं छीना जा सकता है, जो कि फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य द्वारा दिए गए निर्देश के विपरीत है और इस तरह, रिट अपील खारिज किए जाने योग्य है।

9. राज्य/उत्तरवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान शासकिय अधिवक्ता श्री अरविंद दुबे, इस रिट अपील का विरोध करेंगे तथा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हैं।

10. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा उनके द्वारा ऊपर दिए गए प्रतिद्वन्द्वी निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

चर्चा तथा विश्लेषण :

11. पंजीकृत करदाता जो जीएसटी से पहले की व्यवस्था के तहत भुगतान किए गए कर के क्रेडिट के लिए पात्र था, वह केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 140 में निहित प्रावधानों के अनुसार इनपुट करों के क्रेडिट का दावा करने का हकदार था। जीएसटी ट्रान-1 उन करदाताओं के लिए दाखिल किया जाने वाला संक्रमण फॉर्म है जो जीएसटी से पहले की व्यवस्था के तहत पंजीकृत थे, ताकि 30-6-2017 यानी नियत दिन से पहले के दिन



(रिट अपील सं.56/2023)

2025: सीजीएचसी:14415-डीबी

6

उनके खाते में शेष संचित इनपुट टैक्स का लाभ उठाया जा सके। उक्त फॉर्म को क्लोजिंग स्टॉक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट रखने वाले और जीएसटी व्यवस्था में माइग्रेट करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जाना है।

12. यह रिट याचिकाकर्ता / प्रतिवादी नंबर 1 का मामला है कि रिट याचिकाकर्ता के रूप में TRAN-1 पोर्टल को खोलने और उसमें प्रविष्टियां करते समय, इसके द्वारा नियुक्त कर सलाहकार ने पात्र सेनवैट क्रेडिट राशि दर्ज करने के बजाय, गलती से फॉर्म TRAN-1 में NI□ दर्ज कर दिया और सबमिट बटन दबा दिया, जिस पर, तुरंत, फॉर्म फ्रीज हो गया और अपलोड किए गए फॉर्म को संपादित करने का कोई विकल्प नहीं था, जिसका समर्थन कर सलाहकार श्री ऋषिकेश शर्मा के शपथ पत्र से भी होता है, जिसे अनुलग्नक पी-6 के माध्यम से रिट याचिका के साथ दायर किया गया था, जिसके खिलाफ रिट याचिकाकर्ता ने प्रधान आयुक्त, केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क को प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 13. अब, सवाल यह होगा कि क्या ऐसी तकनीकी त्रुटि / विज्ञापन त्रुटि के कारण, पंजीकृत करदाता को संक्रमणकालीन क्रेडिट से वंचित किया जा सकता है?

14. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, **फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा)** में सर्वोच्च न्यायालय ने पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा झेली गई तकनीकी गड़बड़ियों पर विचार करते हुए, TRAN-1 और TRAN-2 के माध्यम से संक्रमणकालीन क्रेडिट दाखिल करने के लिए 1-9-2022 से 31-10-2022 तक दो महीने का समय दिया और 2-9-2022 के आदेश द्वारा इसे 30-11-2022 तक बढ़ा दिया। निर्देश इस प्रकार थे:---

" 1.1. वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क ("जीएसटीएन") को टीआरएन-1 और टीआरएन-2 के माध्यम से संक्रमणकालीन क्रेडिट प्राप्त करने के लिए संबंधित फॉर्म दाखिल करने के लिए दो महीने अर्थात् 1-9-2022 से 31-10-2022 तक सामान्य पोर्टल खोलने का निर्देश दिया गया है।

1.2. तत्कालीन प्रचलित विशिष्ट परिस्थितियों पर उच्च न्यायालयों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, किसी भी पीड़ित पंजीकृत करदाता को संबंधित फॉर्म दाखिल करने या पहले से दाखिल फॉर्म को संशोधित करने का निर्देश दिया जाता है, भले ही करदाता ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की हो या करदाता के मामले पर सूचना प्रौद्योगिकी शिकायत निवारण समिति ("आई टीजीआरसी) द्वारा निर्णय लिया गया है।

1.3. जी. एस. टी. एन. को यह सुनिश्चित करना होगा कि उक्त समय के दौरान कोई तकनीकी गड़बड़ी न हो।

1.4. संबंधित अधिकारियों को दावे/संक्रमणकालीन श्रेय की सत्यता को सत्यापित करने तथा संबंधित पक्षों को उचित उचित अवसर देने के पश्चात् गुण-दोष के आधार पर उचित आदेश पारित करने के लिए 90 दिनों का समय दिया जाता है।

1.5. इसके बाद, स्वीकृत संक्रमणकालीन ऋण इलेक्ट्रॉनिक ऋण बही में परिलक्षित होता है।

1.6. यदि आवश्यक हो तो जी. एस. टी. परिषद दावों की जांच करने के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं को उचित दिशा-निर्देश भी जारी कर सकती है।"



(रिट अपील सं.56/2023)

2025: सीजीएचसी:14415-डीबी

7

15. रिट याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा इंगित अवधि अर्थात् 30-11-2022 से पहले 11-11-2022 को रिट याचिका दायर करके रिट न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और तर्क पूरी होने पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने 28-11-2022 को रिट याचिका पर विचार किया और निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"14. वर्तमान मामले में दिनांक 09.09.2022 का परिपत्र मुख्य रूप से एक स्पष्टीकरण निर्देश है और उक्त स्पष्टीकरण निर्देश अधिनियम या नियमों पर कोई अधिभावी प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। जब नियम 120 ए जीएसटी ट्रान-1 फॉर्म में घोषणा को एक बार संशोधित करने का प्रावधान करता है, तो केवल इसलिए कि पोर्टल को एक बार के उपाय के रूप में खोला गया है, इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि नियम 120 ए तब लागू नहीं हो सकता जब उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार आज दिनांक में भी फार्म ट्रान-1 जमा करने की अवधि अभी भी खुली है। उच्चतम न्यायालय ने कहीं भी यह अभिनिर्धारित नहीं किया है कि नियम 120 ए की प्रयोज्यता उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं होगी जिन्हें उसके आदेश के अनुसार अपना फार्म ट्रान-1 और ट्रान-2 जमा करना है।

15. इसलिए इस न्यायालय की राय है कि नियम 120 ए को ध्यान में रखते हुए, यह आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 प्रतिवादी संख्या 5 को निर्देश दे सकते हैं कि जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है, नियम 120 ए के संदर्भ में एक बार पोर्टल खोला जाए, जिससे याचिकाकर्ता को घोषणा को संशोधित करने की अनुमति मिले और उसके बाद उसे प्रस्तुत करने और फाइलिंग पूरी करने की अनुमति मिले।

16. उत्तरवादी संख्या 1, 2 और 5 को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिया जाता है कि यदि जल्द से जल्द नहीं तो 30.11.2022 तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई समय सीमा से पहले सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। याचिकाकर्ता को भी उक्त समयावधि के भीतर इसे प्रस्तुत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को संशोधन के लिए कोई और अनुमति नहीं दी जा सकती है।

17. उत्तरवादी को इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को टेलीफोन पर सूचित करने का भी निर्देश दिया जाता है।"

16. उच्चतम न्यायालय ने कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, पुणे एवं अन्य बनाम दाई इची करकारिया लिमिटेड एवं अन्य 3 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी उत्पाद शुल्क योग्य उत्पाद के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क के लिए निर्माता द्वारा प्राप्त क्रेडिट अपरिवर्तनीय है और निम्नानुसार टिप्पणी की गई:---

"18. इन नियमों से यह स्पष्ट है, जैसा कि हम उन्हें पढ़ते हैं, कि एक निर्माता उत्पाद शुल्क योग्य उत्पाद के उत्पादन में उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क के लिए क्रेडिट प्राप्त करता है, जैसे ही वह अपेक्षित घोषणा करता है और उसकी पावती प्राप्त करता है। उत्पाद शुल्क योग्य उत्पाद पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करते समय वह उसके बाद किसी भी समय क्रेडिट का उपयोग करने का हकदार है।



नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा क्रेडिट को उलटने का प्रावधान करता हो, सिवाय इसके कि इसे अवैध रूप से या अनियमित रूप से लिया गया हो, ऐसी स्थिति में इसे रद्द कर दिया जाता है या यदि उपयोग किया जाता है, तो इसका भुगतान करना पड़ता है। हम यहां वास्तव में उस ऋण से संबंधित हैं जो वैध रूप से लिया गया है, और इसका लाभ निर्माता को समय या अन्य किसी सीमा के बिना उपलब्ध है, जब तक कि निर्माता स्वयं अपने उत्पाद शुल्क योग्य उत्पाद में कच्चे माल का उपयोग न करने का विकल्प न चुने। इसलिए, ऋण अप्रतिदेय है।.....”

17. इस स्तर पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जीएसटी नीति विंग द्वारा जारी दिनांक 9-9-2022 के परिपत्र पर ध्यान दिया जा सकता है, जिस पर भारत के विद्वान उप सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुतिकरण के दौरान बहुत जोर दिया है। कंडिका 4.6.1 तथा 4.6.2 वृत्ताकार अवस्था निम्नानुसार है:---

“ 4.6.1 इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक पोर्टल पर “सबमिट” बटन पर क्लिक करने से पहले केवल सामान्य पोर्टल पर फॉर्म ट्रान-1/ट्रान-2 में विवरण संपादित कर सकता है। आवेदक को ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करने से पहले उक्त फॉर्म की किसी भी तालिका में किसी भी अभिलेख को संशोधित/संपादित करने, जोड़ने या हटाने की अनुमति है। “सबमिट” बटन पर क्लिक करने के बाद, फॉर्म फ्रीज हो जाता है, और विवरणों को आगे संपादित करने की अनुमति नहीं है। इस फ़ॉर्म को फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) या EVC के साथ “फाइल” बटन का उपयोग करके पोर्टल पर दाखिल करना होगा। इसलिए, आवेदक को “सबमिट” बटन पर क्लिक करने से पहले फॉर्म TRAN-1/TRAN-2 में सभी विवरणों की शुद्धता सुनिश्चित करनी होगी। जीएसटीएन इस संबंध में एक विस्तृत सलाह जारी करेगा और आवेदक पोर्टल पर उक्त फॉर्म दाखिल करते समय इसे ध्यान में रख सकता है।

4.6.2 यह भी स्पष्ट किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, जब आवेदक TRAN-1/TRAN-2 दाखिल कर देता है या सामान्य पोर्टल पर पहले दाखिल किए गए उक्त फॉर्म को संशोधित कर देता है, तो इस अवधि के दौरान या बाद में TRAN-1/TRAN-2 को फिर से दाखिल करने या संशोधित करने का कोई अवसर उसे उपलब्ध नहीं होगा।”

18. केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 168 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 9-9-2022 का परिपत्र जारी किया गया है। इस स्तर पर, केंद्रीय जीएसटी नियमों के नियम 120 ए को लाभप्रद रूप से देखा जा सकता है जो फॉर्म जीएसटी टीआरएन-1 में घोषणा के संशोधन का प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसने नियम 117, नियम 118, नियम 119 और नियम 120 में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर फॉर्म जीएसटी टीआरएन-1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से घोषणा प्रस्तुत की है, वह ऐसी घोषणा को एक बार संशोधित कर सकता है और फॉर्म जीएसटी टीआरएन-1 में संशोधित घोषणा को उक्त नियमों में निर्दिष्ट समय अवधि या आयुक्त द्वारा इस संबंध में बढ़ाई जा सकने वाली ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर सामान्य पोर्टल पर



इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकता है। अभिव्यक्ति "इस संबंध में आयुक्त द्वारा बढ़ाई जा सकने वाली अतिरिक्त अवधि" काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्रीय जीएसटी नियमों के नियम 120 ए के माध्यम से दी गई शक्ति को 9-9-2022 के परिपत्र जारी करके नहीं लिया जा सकता है। जैसा कि **दाई इची करकारिया लिमिटेड** के मामले (सुप्रा) में कहा गया है, ऐसे ऋण की वैधता अपरिवर्तनीय है।

19. गुजरात उच्च न्यायालय ने सिद्धार्थ एंटरप्राइजेज बनाम नोडल अधिकारी 4 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि पूर्ववर्ती केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून के तहत अर्जित सेनवैट क्रेडिट रिट आवेदकों की संपत्ति है और इसे इस संबंध में विधि की अनुपस्थिति में केवल घोषणा दाखिल करने में विफल रहने के लिए विनियोजित नहीं किया जा सकता है, और यह निम्नानुसार देखा गया है:

"42. अनुच्छेद 300 ए में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार द्वारा बचाई गई संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन यह अभी भी एक संवैधानिक अधिकार है। पूर्ववर्ती केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून के तहत अर्जित सेनवैट क्रेडिट रिट आवेदकों की संपत्ति है और इसे इस संबंध में कानून की अनुपस्थिति में केवल घोषणा दाखिल करने में विफल रहने के कारण विनियोजित नहीं किया जा सकता है। सरकार द्वारा सीजीएसटी अधिनियम में प्रावधान करके इसे अपने अधीन लिया जा सकता था, लेकिन इस संबंध में केवल नियम बनाकर इसे वापस नहीं लिया जा सकता है।"

20. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, यद्यपि रिट याचिकाकर्ता ने फॉर्म TRAN-1 दाखिल करने में गलती की, लेकिन रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, उसके खाते में बड़ी धनराशि जमा की गई थी और जून, 2017 के महीने के लिए दायर अंतिम रिटर्न में यह अप्रयुक्त पड़ी पाई गई। जैसा कि **यूनिकेम लैबोरेटरीज लिमिटेड (सुप्रा)** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, राजस्व विभाग का यह कर्तव्य नहीं है कि वह किसी करदाता को कानून के तहत उपलब्ध लाभ से वंचित करे, जिसके लिए वह अन्यथा पात्र है और जो उसे वैध रूप से उपलब्ध है, तथा अधिनियम के तहत कार्यरत प्राधिकारियों को उचित और निष्पक्ष रूप से कार्य करना आवश्यक है। केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 168 ए के तहत जारी परिपत्र, करदाता के लिए अपने फॉर्म ट्रान-1 को संशोधित करने के रास्ते में नहीं आया और मामले के तहत, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उत्तरवादी संख्या 1, 2 और 5 को रिट याचिकाकर्ता को फॉर्म जीएसटी ट्रान-1 को संशोधित करने की सुविधा प्रदान करने का निर्देश देने में पूरी तरह से न्यायोचित है। वर्तमान रिट अपील पर विचार करने के लिए हमें कोई अच्छा आधार नहीं मिलता है।

21. उपर्युक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हमें इस रिट अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती है, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रोकने के लिए हमारे अपीलीय क्षेत्राधिकार का आह्वान किया गया है और तदनुसार, वर्तमान रिट अपील को खारिज कर दिया जाता है, जिससे पक्षों को अपनी लागत स्वयं वहन करना होगा।



(रिट अपील सं.56/2023)

2025: सीजीएचसी:14415-डीबी

10

22. उपरोक्त के तहत, उत्तरवादी संख्या 3 और 4 को निर्देश दिया जाता है कि वे रिट याचिकाकर्ता को फॉर्म जीएसटी ट्रान-1 को संशोधित करने की अनुमति दें, यदि पहले से अनुमति नहीं है, ताकि वह इनपुट के संबंध में पात्र शुल्कों के संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा करने में सक्षम हो सके।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/-
(संजय कुमार जयसवाल)
न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु

किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य



(रिट अपील सं.56/2023)

2025: सीजीएचसी:14415-डीबी

11

प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

